# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 2538 /XXV–(P-7)/2008 देहरादूनः दिनाक 17 जून, 2019.

सेवा में,

श्री राजपाल सिंह तोमर,
कृष्णा विहार, स्मिथनगर ,
प्रेमनगर, देहरादून।
पिन–248007

**विषयः–** **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1092/रा0नि0आ0–1/2636/2019 दिनांक 13 जून, 2019 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, उक्त पत्र के साथ संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 10 जून, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

| | |
|---|---|
| बिन्दु संख्या–01 एवं संख्या–2 | निर्वाचन विधि निर्देशिका से विधायक एवं सांसद के चुनाव लड़ने की योग्यताएं संबंधी विवरण के कुल 09 पृष्ठ प्रेषित किये जा रहे है। |
| बिन्दु संख्या– 03 | संबंधित सूचना कार्यालय में धारित नही है। |

**संलग्न–यथोपरि (09 पृष्ठ)**

यदि आप उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी जा रही सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,**
**सचिवालय परिसर, देहरादून।**

भवदीय,

**(डी0पी0 डंगवाल)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे ।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि[1] द्वारा कर सकेगी ।

[(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।]

* * * * *

**75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध--(1)** * * *

[2][(1क) मंत्री परिषद् में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा ।]

* * * * *

## अध्याय 2--संसद्

### साधारण

**79. संसद् का गठन**---संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे ।

**80. राज्य सभा की संरचना**--(1) [3][[4]*** राज्य सभा] —

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और

(ख) राज्यों के [5][और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों,

से मिलकर बनेगी ।

(2) राज्य सभा में राज्यों के [5][और संघ राज्यक्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा ।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :---

साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ।

---

[1] राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) देखिए ।
[2] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (1-1-2004 से) अंतःस्थापित ।
[3] संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (1-3-1975 से) "राज्य सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया गया ।
[5] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) जोड़ा गया ।

(4) राज्य सभा में प्रत्येक [1]*** राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

(5) राज्य सभा में [2][संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद् विधि द्वारा विहित करे ।

[3][**81. लोक सभा की संरचना**---(1) [4][ अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए [5]***] लोक सभा---

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए [6][पांच सौ तीस] से अनधिक [6][सदस्यों], और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए [7][बीस] से अनधिक [7][सदस्यों],

से मिलकर बनेगी ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो :

[8][परंतु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है ।]

(3) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

[9][परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् [10][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, [11][यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह--

(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परंतुक के प्रयोजनों के लिए, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ; और

(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, [12][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है ।]]

**82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन**—प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे :

परंतु ऐसे पुनःसमायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

[13][परंतु यह और कि ऐसा पुनःसमायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनःसमायोजन के पहले विद्यमान हैं :

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा "पहली अनुसूची में भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा "पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 81 और 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) "अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "और दसवीं अनुसूची के पैरा 4" शब्दों और अंक का लोप किया गया।

[6] गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "पांच सौ पच्चीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा "पच्चीस सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[9] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 15 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

[10] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[11] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[12] संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[13] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

परंतु यह और भी कि जब तक सन् [1][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [2][इस अनुच्छेद के अधीन,—

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का ; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [3][2001] की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा ।]]

**83. संसद् के सदनों की अवधि**—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए, उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [4][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [4][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब, संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

**84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता**—कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[5][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;]

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[6] द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं ।

[7][**85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन**— (1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा ।]

* * * * *

---

[1] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] संविधान (बवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 3 और 4 आगे भाग 2 में देखिए ।
[7] संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

### कार्य संचालन

**99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान**---संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

* * * * * * *

### सदस्यों की निरर्हताएं

**101. स्थानों का रिक्त होना**---(1) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि द्वारा उपबंध करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति संसद् और किसी [1]*** राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और [2][किसी राज्य] के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों[3] में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(3) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य---

(क) [4][अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

[5][(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

[6][परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।]

(4) यदि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है ।

**102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं**---(1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा---

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने [7]विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी [8]विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[9][**स्पष्टीकरण**---इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

---

[1] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

[2] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 जिल्द 1 के भाग 3 में देखिए विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 एफ0 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ0 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 ।

[4] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 102 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7] संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) आगे जिल्द 1 के भाग 4 में देखिए ।

[8] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।

[9] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्राप्त - 14/6/2019

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 1092/रा0नि0आ0–1/2636/2019 दिनांक 13 जून, 2019

## सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री राजपाल सिंह तोमर, कृष्णा विहार, स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 10.06.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 12.06.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

13/6/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2636/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री राजपाल सिंह तोमर, कृष्णा विहार, स्मिथनगर, प्रेमनगर, देहरादून पिन–248007 को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

197
12/06/19

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-A की धारा-6 के के अंतर्गत आवेदन

समक्ष: लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग उत्तराखंड, जनपद: देहरा दून (उत्तराखंड)

मॉंगी गई सूचना का विवरण:-

श्रीनपाल
12/6/19
(बी० पी० कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

1. विधायक और सांसद के चुनाव लडने की योग्यताएं वर्तमान में क्या-क्या हैं? कृपया सूची उपलब्ध करायें।
2. विधायक और सांसद की योग्यताओं में क्या कोई संशोधन हुआ है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें (राजपत्र संख्या व तिथि के उल्लेख सहित)
3. क्या कोई ऐसा संशोधन आया है कि "दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति, विधायक/सांसद का चुनाव लडने में अयोग्य माना जायेगा।

उपरोक्त 03 (तीन) बिन्दुओं पर सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी जा रही है।

संलग्न:-

(i) रु० 10/- का पोस्टल आर्डर क्रम सं० 37F 804449 dt. 16/6/19 जो कि लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के पदनाम पर देय है।

भवदीय

10.06/2019

(राजपाल सिंह तोमर)
कृष्णा विहार स्मिथनगर
प्रेमनगर, देहरादून-248007

Received Rs 10/ IPO
13.6.19